

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 311] No. 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2017/माघ 14, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2017/MAGHA 14, 1938

रेल मंत्रालय

(पूर्वोत्तर रेलवे)

अधिसूचना

गोरखपुर, 31 जनवरी, 2017

का.आ. 344(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37ए द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, सार्वजिनक उद्देश्यों से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजनाओं को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी ।

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1	मऊ—ताडीघाट नई रेल लाइन परियोजना 51 किमी साथ में रेल कम रोड ब्रिज गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W / Con / 98 / 344 / W-1]

एल. एम. झा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(NORTH EASTERN RAILWAY)

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 31st January, 2017

S.O. 344(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the project mentioned in the table below as

596 GI/2017 (1)

Special Railway Project in the State of Uttar Pradesh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

Sl. No.	Name of Project
1	Mau – Tarighat New Railway Line Project 51 km. including rail-cum-road bridge at Ghazipur, Uttar Pradesh.

[F. No. W/Con/98/344/W-1]

L. M. JHA, Chief Administrative Officer (Const.)